न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

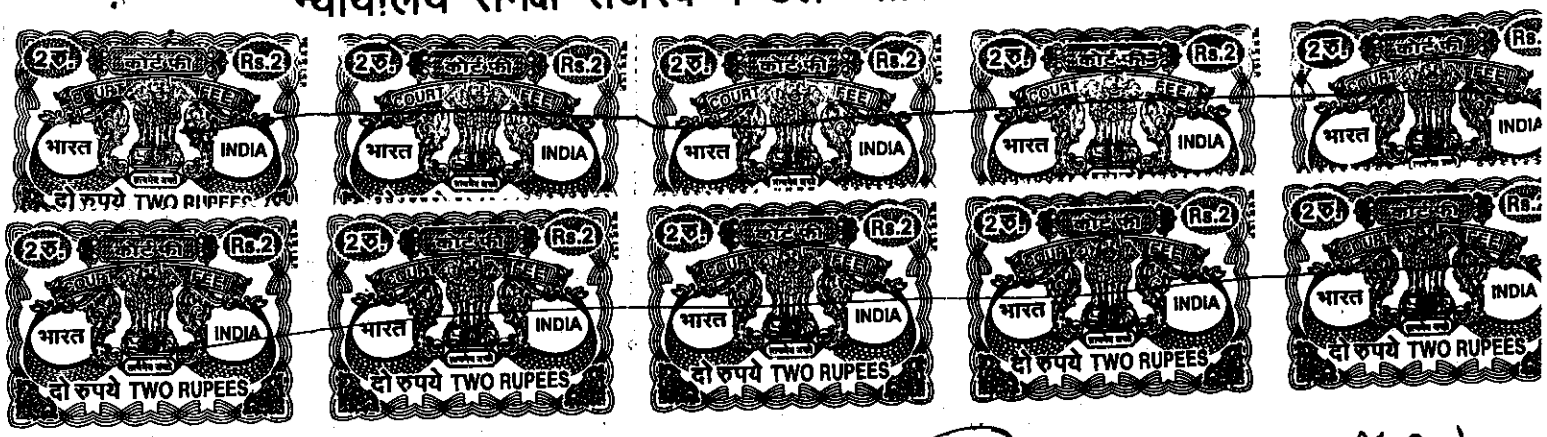

(Rs-30)

RS142-III/16 (17)

1— रविलाल तनय रामशरण ब्रा0

2— सुखेन्द्र कुमार तनय रविकरण ब्रा0

3— श्रीमती सुखन पत्नी रविकरण ब्रा0 सभी निवासी ग्राम धरी, थाना/तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

————निगरानीकर्तागण

बनाम

1— मनोज कुमार द्विवेदी उर्फ मोहनदास तनय रामशरण ब्रा0

2— मनीष कुमार

3— सतीष कुमार क्र0—02 व 03 के पिता रविकरण ब्रा0

सभी निवासी ग्राम धरी, थाना/तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

————गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. रघुवंश प्रताप सिंह एड द्वारा आज दिनांक 18-3-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय प्रभारी तहसील सेमरिया/सिरमौर, जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्र0—8/अ—6/अपील/2014—15 आदेश दिनांक 07.12.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :—

1— यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रकिया एवं नियमों व तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5142–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रविलाल विरूद्ध मनोज कुमार द्विवेदी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री रघुबंश प्रताप सिंह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के प्रकरण कमांक 8/अ–6/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि अनावेदक कमांक 1 मनोज कुमार लॉऔलाद है इस कारण इनके द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपना हिस्सा नही लिया गया है इसी बजह से बटनबारा के दौरान विवादित भूमि में उनका हिस्सा दर्शित नहीं किया गया है तथा मनोज कुमार द्वारा बटनबारा पुल्ली पर हस्ताक्षर भी किए थे एवं जो बटवारा किया गया था वह उनकी स्वेच्छा से ही किया गया था। वहीं उनके द्वारा यह भी बिन्दु अपने तर्क के दौरान प्रमुखता से उठाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिलम्ब के बिन्दु पर कोई बिचार नहीं किया गया जबकि अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी बिलम्ब से प्रस्तुत की गयी थी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही तथ्य दुहराये गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन पर विचार किया जा रहा है किन्तु उन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में निगरानी मेमो का परीक्षण करते हुए प्रकरण के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 07.12.2015 की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन किया गया।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रविलाल विरूद्ध मनोज कुमार द्विवेदी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण न करते हुए मात्र धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर गुणदोष पर निराकरण हेतु बिन्दु निर्धारित कर प्रकरण में निर्धारित बिन्दुओं पर उभयपक्ष की साक्ष्य हेतु प्रकरण दिनांक 28.12.15 को नियत किया गया था। इस नियत दिनांक को उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष समर्थन एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश से वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है क्योंकि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जहां अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर भी उलब्ध है । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना–अपना पक्ष समर्थन करें एवं प्रकरण में गुणदोष पर निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय का सहयोग करें। अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणदोष के आधार पर विधि संगत निराकरण करें।

उपरोक्त निर्देशों के साथ वर्तमान परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

सदस्य